Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:4.081
Volume-12, Issue-4, March-2019 www.researchguru.net

औपनिवेशिक भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में महिलाओं का योगदान (बुंदेलखण्ड के विशष संदर्भ में)

डॉ सीमा द्विवेदी
अतिथि प्राध्यापक, इतिहास शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोतर महाविद्यालय बिलासपुर (छ०ग०) E_mail:-
seemadwivedi4343@gmail.com

सारांश :–

पंडित जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर 1929 ई० को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो चुका था। इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ई० को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाया गया। प्रस्ताव में जनता के लिए मौलिक अधिकारों की घोषणा एवं बिट्रिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया नहीं तो सविनय अवज्ञा एवं सत्याग्रह आरम्भ कर दिया जायेगा। इस अधिवेशन में गाँधीं जी की ओर से झाँसी एवं हमीरपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लाहौर से लौटे डेलिगेशन में गये लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरूध सत्याग्रह की तैयारियाँ अपने–अपने क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दीं। गाँधीं जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन से पूर्व महिलाओं को आंन्दोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया था परन्तु महिला संस्थाओं एवं प्रमुख महिलाओं द्वारा माँगें उठाने व जिद करने पर गाँधीं जी ने अनुमति दे दी और बडीं संख्या में महिलाएँ ने इस आन्दोंलन में भाग लिया। आजादीं की लड़ाई में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ घरों से बाहर निकली, जुलुस निकालें सभाएँ आयोजित की, नमक कानून भंग किया। नेताओं के जेल जाने के बाद देश के सभी शहरों मे महिलाओं के बड़े–बड़ें जुलूस निकाले गये, महिलाओं ने पुरूषों से भी अधिक दढ़ता का परिचय दिया। इन महिलाओं का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमति सरोजनी नायडू ने किया।

कुजीं शब्द :– राष्ट्रीय सप्ताह, सहभागिता, सत्याग्रह, डेलिगेशन, स्वाधीनता।

31 दिसम्बर 1929 की मध्य रात्रि में काग्रेंस ने 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव पारित कर दिया। जिसमें अखिल भारतीय काग्रेंस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह पूर्ण स्वतंत्रता को ध्येय मानकर आन्दोलन आरम्भ कर दें और उसे यह भी अधिकार दिया गया कि जब और जहॉ चाहे 'कर – बंदी' तथा 'सत्याग्रह' आन्दोंलन चलाए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने विशाल जन –समुदाय व काग्रेंस जनों की उपस्थिती में राष्टीय ध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने तक निरंतर संर्घष करते रहने की शपथ ली। शपथ के प्रति आत्मर्पित होकर सभी उपस्थित लोगों ने दोहराया। राष्ट्रीय सप्ताह के कारण जनपदों की अनेक वीर महिलाएँ तथा इनके साथी गिरफ्तार कर लिए गये सभी को एक वर्ष की सजा तथा अर्थ दण्ड भी दिया गया। गाँधी जी के आवाहन पर जब देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ तो उसमें सारे देश की सहभागिता रही। सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में महात्मा गाँधी ने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किये थे। जो इस प्रकार थे :–

1 लोग गाँव में नमक के कानून को तोडे तथा नमक बनाये।
2 महिलायें शराब अफीम तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दे।
3 विद्यार्थी सरकारी स्कूल तथा कालेज छोड़ दें।
4 राजकीय कर्मचारी दफ्तरों को त्याग दें।
5 विदेशी वस्त्रों की होली जलायी जाये।
6 लोग सरकार को कर न दें।
7 जनता को चाहिए कि चरखा कातें और सूत एकत्र करें।

गाँधीं जी के इस आव्हान पर 6 अप्रेल को नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून के विरुद्ध में सैकड़ों महिलायें घायल हुई। घुड़सवार पुलिस महिलाओं को कुचलती व उन पर डंडे बरसाती रहीं। धरना कार्यक्रम के अर्न्तगत् महिलाओं ने विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरने दिये प्रत्येक प्रान्त में इन सभाओं जलूसों और धरनों के लिए हजारों की संख्या में महिलाएँ व छात्राएँ घरों व स्कूलों से बाहर निकल आई। देश में इसी समय में अनेक सेविका सघं स्थापित हुए। जब पुरुष जेल गये तो महिलाओं ने अपनी सगंठन शक्ति का परिचय दिया। जगह –जगह पिकेटिंग बोर्ड बनाये गये इण्ड़ियन बूमेन्स ऐसोसियेशन व आल इंड़िया वूमेन कांग्रेस आदि ने बहिष्कार व धरना विभाग बनाकर बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग लिया। इन महिलाओं पर फायंरिग की गई जिसमें महिलाएँ शहीद हुई। सरोजनी नायडू की इन सब महिलाओं में अग्रणी भूमिका रही थी। इलाहाबाद (उ०प्र०) में विजयलक्ष्मी पड़ित,कमला नेहरु,उमा नेहरु,सरला भदौरिया इत्यादि ने

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुसइया बाई काले मध्य प्रांत में इस आदोंलन का नेतृत्व कर रही थीं। नागपुर क्षेत्र में सुमन केसकर और बरार क्षेत्र में दुर्गा जोशी के निर्देशन में जगह–जगह महिलाएँ आन्दोंलन कर रही थीं। वर्धा में जानकी देवी बजाज और केशरबाई पोद्दार ने महिलाओं की टोलियों और स्वयं सेवकों को संगठित किया। माखनलाल चर्तुवेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जबलपुर में नेतृत्व किया।

बुंदेलों के उत्कर्ष और उनके सत्ता हस्तगत् करने के बाद 16वीं शताब्दीं में इस जनपद का नाम बुंदेलखण्ड पडा। यह भारत के मध्य में स्थित है। प्राचीन काल से इसे विभिन्न नामों से जैसे पुलिन्द, दशार्ण, चेदी, मध्यदेश आदि नामों से जाना जाता था। [1] इन प्रदेशों कों **'जैजाक भुक्ति'** के नाम से जाना जाता था। इन साइक्लोपीडिया विट्रानिका में भी बुंदेलखण्ड को **'जैजाक भुक्ति'** के नाम से उल्लेख किया गया है। इस राज्य का **'जयशक्ति'** बडा प्रतापी राजा हुआ है। इसके राज्य का विस्तार यमुना से नर्मदा तक था इसी नाम पर यमुना से नर्मदा तक का भाग **'जैजाक भुक्ति'** कहलाया।[2] भारत के मध्य में स्थित बुंदेलखण्ड की पारम्परिक भौगोलिक भाषाई और सांस्कृतिक सीमाएँ उत्तर से यमुना ,द० में नर्मदा, प० उ० में चम्बल और पूर्व उत्तर में टोंस नदियों सें निर्धारित होती रही है।[3] इसका प्राचीन नाम 'दर्शाणं' था। जिसका शाब्दिक अर्थ है। 'दशजल वालां' इसप्रकार, बुंदेलखण्ड का 'दर्शाणं' नाम दश नदियों के कारण पड़ा जो इसप्रकार है :– धसान, पार्वती, सिन्ध, बेतवा, चम्बल, जमुना, नर्मदा, केन, टोंस, और जामनेर।[4] इस भू–भाग को कोई भी केन्द्रीय व प्रांतीय सत्ता अपने पूर्ण निंयत्रण में नहीं रख सका। अग्रेंजों ने इस भू–भाग को तीन भागों में विभक्त कर दिया। एक, भाग को संयुक्त प्रांत में मिला दिया। दूसरा, भाग को सेन्ट्रल इड़िया (मध्यप्रांत) में मिला दिया गया। अग्रेंजों ने अग्रेंज भक्त बुंदेलखण्ड के रजवाड़ों को उनकी सेवाओं के लिए सौप दिया गया। [5] इसप्रकार अग्रेंजों ने इस प्रांत पर निंयत्रण किया।

यहाँ की स्त्रियों का स्वंतत्रता संग्राम के प्रारंभिक समय में सामाजिक व आर्थिक दशा का कोई स्वंतत्रत रूप नहीं था। 19वीं सदीं के मध्य तक यह धारणा थी कि महिलाएँ केवल घरेलु कामकाज के लिए ही सीमित है। वुमेन्स इड़िया एसोसिएसन की संस्थापक थी। इन्होंने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिणक दशा सुधारने के लिए काम किया। इनकी वास्तविक स्थिति का चित्रण किया। उनके अनुसार पूरे भारत में वर्ष में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिणक स्थिति लगभग एक जैसी थी।[6] बुंदेलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र में महिलाओं का समाज में स्वंत्रत रूप से कोई अस्तित्व नहीं था समाज में बहुत सी कुप्रथाएँ प्रचलित थी। इन कुप्रथाओं की वजह से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोंलन में महिलाओं की भूमिका प्रभावित हुई।

सविनय अवज्ञा आन्दोंलन के पहले बुंदेलखण्ड के झाँसी जिले में 1928 में जनाना अस्पताल के प्रांगण में पंड़ित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में उ०प्र० काग्रेंस कमेटी का अधिवेशन हुआ। 1930 में नमक कानून तोड़ने के बाद सम्पूर्ण झाँसी में नमक सत्याग्रह, प्रारम्भ हो गया था। जिसमें पुरूषों में श्री आत्माराम गोविन्द खरे, श्री धुलेकर, और कृष्णचन्द्र गिरफ्तार कर लिए गए थे। [7] इस आन्दोलन में झाँसी जिले की महिलाओं ने पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। इस आन्दोलन का नेतृत्व श्रीमति पिस्ता गोयल ने किया। इस आन्दोलन में बुंदेलखण्ड की प्रमुख स्वंतत्रता सेनानी महिलाओं के बारे संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार हैं :–

(1) **श्रीमति हल्कीबाई** :–

इन्होंने असहयोग आन्दोलन में श्रीमति पिस्ता गोयल के नेतृत्व में भाग लिया था। ये झाँसी के गौसियन पुरा की निवासी थी। इस आन्दोलन के तहत् उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वे देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। जब सविनय अवज्ञा आन्दोंलन प्रारम्भ हुआ। तो उन्होंने इसमें बढ़चड़कर हिस्सा लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में सिविल डिसओविडियेन्स कानून के तहत् 6 माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उनपर कठोर व्यवहार किया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसपर पुलिस द्वारा 150 रू का जुमार्ना भी कर लिया गया।[8]

(2) **कांन्ति देवी पंगोरिया** :–

वे प्रसिद्व सत्याग्रही कृष्ण चन्द्र पंगोरिया की पत्नि थी। उनके पति काग्रेंस कमेटी के सदस्य थे। अतः उनके घर स्वंतत्रता सेनानियों का आना जाना था। उनके परिवार का माहौल देशभक्ति पूर्ण था। परिवारिक माहौल से प्रेरणा से उनके मन में स्वंतत्रता आन्दोलन में भाग लेने की इच्छा हुई। क्रांन्ति देवी ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में खुलकर भाग लिया । 1932 में सिविल डिसओविडियेन्स कानून के तहत् उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।[9]

(3) **सावित्री देवी** :–

ये कालपी की मूल निवासी थी। इन्होंने आन्दोंलनकारियों के साथ कलेक्टरी पर धरना दिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया इन पर मुकदमा चलाया गया। तीन माह की सजा हुई, 50रू का आर्थिक दण्ड सुनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट श्री चिम्मन लाल ने इनकी छोटी बच्ची को देखा तो उन्होंने जुर्माना 22रू कर दिया। जिसके भुगतान के बाद छोड़ दिया गया।

(4) **रानी राजेन्द्र कुमारी (हमीरपुर) :–**

गणेश शंकर विधार्थी संयुक्त प्रांत के आन्दोलन के संचालक थे। उन्होंने हमीरपुर जिले क सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी भगवानदास अरजरिया बालेन्दु को दी।

हमीरपुर के पुरूष सत्याग्रही की गिरफ्तारी के बाद रानी राजेन्द्र कुमारी के **ने**तृत्व में आन्दोलन हुआ। इनके **ने**तृत्व में राठ में नमक सत्याग्रह हुआ। पुलिस ने महिला सत्याग्रहियों के साथ रानी राजेन्द्र कुमारी को उनकें पुत्र वीर प्रताप सिंह सहित गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। उन्हें 6 माह का कारावास हुआ । रानी के **ने**तृत्व में इस जनपद की वीरागनाओं ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में बढचढकर हिस्सा लिया। महिलाओं ने स्वेच्छा से इस आन्दोंलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वरी देवी ,किशोरी देवी,सरयुदेवी ,उर्मिला देवी एवं रामप्यारी देवी ने इस आन्दोंलन में भाग लिया।

(5) **कस्तुरी देवी :–**

इनके पति प्रसिद्व स्वतंत्रता सेनानी, गीतकार व साहित्यकार थे। अतः इनके घर का वातावरण देशभक्ति से पूर्ण था। अतः इन पर भी घर के वातावरण का प्रभाव पड़ा। वे भी सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 6 माह की सजा हुई, 25रू का आर्थिक दण्ड सुनाया गया।

(6) **भुवनेश्वरी देवी :–**

इनका जन्म 1912 को कुलपहाड़ में हुआ था। ये भगवानदास अरजरिया बालेन्दु की बहन थी। इनके पति नाथुराम तिवारी थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे अतः इनका मातृपक्ष व ससुराल पक्ष के घर का वातावरण देशभक्ति से पूर्ण था। रानी राजेन्द्र कुमारी के साथ मिलकर सभी स्वतंत्रता आन्दोंलन ,महिला सभाओं में व महिला अधिवेशनों में भाग लिया। इनका निधन 1948 को हुआ।

(7) राजा बेटी :–

इनका जन्म 1894 में हुआ था। इनके पति आनंदी प्रसाद लोधी था। इन्होंने स्वतंत्रता के सभी आन्दोंलन में भाग लिया। इन्हें सन् 1933 में फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की धारा 16(1),(2) क्रिमिनल लॉ और 18(2) क्रिमिनल लॉ 143 IPC के अंर्तगत् 6–6 माह की कैद तथा 10रू का जुर्माना हुआ।

(8) रमा देवी :–

इनका जन्म 1902 में कबरई के निकट परसाहा नाम गाँव में हुआ था। इनके पति द्वारिका प्रसाद अवस्थी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया। 1932 में अग्रेंजों ने इन्हें इनके दोंनों पुत्रों के साथ जेल भेज दिया। जेल में ही इनके पति की मृत्यु हो गयी इनके फौजदारी कानूनी संशोधन अधिनियम की धारा 16(2) IPC की धारा 148 के अंर्तगत्, 5/4/1932 को 6 माह सख्त कैद और 10रू का जुर्माना हुआ।

इस आन्दोंलन में अतिशिक्षित महिलाएँ भी थी। तो दूसरी तरफ गरीब अभावग्रस्त अनपढ़ मजदूर और किसानों की औरतें भी थी। इसी क्रम में बाँदा जनपद् की महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया। वे निम्नलिखित है :–

(9) श्रीमति अनुसुईया :–

इनका जन्म बाँदा के बवेरू में हुआ। इन्होंने असहयोग आन्दोंलन व सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया। इन्हें 6 माह की सजा हुई।

(10) गोरिन शर्मा :–

ये कर्वी जनपद की रहने वाली थी। सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर फौजदारी कानून के तहत् 6 माह की कैद 50रू का जुर्माना हुआ।

जबलपुर से सेठ गोविन्द दास तथा पं० द्वारका प्रसाद मित्र के नेतृत्व में 25 किलोमीटर पर स्थित वीरांगना महारानी दुर्गावती की समाधि पर शपथ ली। 21 अप्रेल को दुर्गाबाई जोशी के नेतृत्व में भाग लिया।

(11) श्रीमति प्यारी बाई ठकुराईन :–

ये जबलपुर के पाटन तहसील की अगासौद की रहने वाली थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन व भारत छोंडो आन्दोंलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने स्वंय अनेकों कष्टों को सहते हुए जबलपुर के महिला वर्ग में राष्टीय चेतना जाग्रत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथा एक नई प्रेरणा दी।

(12) कमलादेवी :–

इनका जन्म 1916 में कटनी में हुआ था। इन्होंने जंगल सत्याग्रह ,व 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया। इन्हें भी 6 माह की सजा हुई।

(13) यमुनाबाई :–

इन्होंने पति की प्रेरणा से सन् 1930 में गाँधीं जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन चलाया तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोंलन चलाया तो उन्होंने इस आन्दोंलन भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें फौजदारी कानूनी संशोधन अधिनियम की धारा 17(1) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 के अंर्तगत्,14 माह कैद और 15 रू का जुर्माना हुआ। रानी राजेन्द्र कुमारी के साथ मिलकर सभी स्वतंत्रता आन्दोंलन में अपनी भूमिका निभाई। जब हरि भाई जेल में थें तभी यमुना देवी का देहान्त हो गया।[10]

अन्य :–

प्रभादेवी नामदेव, श्रीमति सैय्यद ,केतकी बाई, सुन्दरबाई, नीली बाई, रूक्मिणी देवी, शांन्तिदेवी, भगवती शुक्ला, श्रीमति शिवदेवी, उर्मिलादेवी, क्रांतिदेवी, गंगादेवी, गिरजादेवी, प्रभादेवी व कमलाबाई इत्यादि ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन में भाग लिया।

जेल में महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया उसका वर्णन कमलादेवी चटटोपाध्याय ने इसप्रकार, किया था। जेल में केवल तीन माह के छोटे बच्चों को ही माता के साथ रहने दिया जाता था। टैक्स न अदा करने पर इस नौनिहाल को भी माता से अलग कर दिया जाता था। इसलिए घर में अनेकों बच्चे अनाथों की तरह रहतें थे। इन बच्चों की मदद करने वालों को भी राजद्रोहियों का साथ देने वाला समझ लेते थे। उन पर कड़ी नजर रखते थे। चुकि महिलाओं के साथ उनके पति भी जेलों में बंद थे। अतः उनके घरों का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ गया था। पर महिलाओं ने जेल जीवन में महिलाओं ने अनेक प्रकार की यातनाओं हंसते – हंसते सहन किया ,यहाँ तक कि घर में पति पुत्र व पुत्री की बीमारी की अवस्था में भी वे सरकार से माँफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुई। [11]

सरकार इस आन्दोंलन को दबा देना चाहती थी। लेकिन आन्दोंलन इतना मजबूत था कि 19 महीने तक चला। सन् 1932 में गाँधीं जी ने राष्ट्रीय आन्दोंलन का परित्याग कर दिया और समाज सुधार के कार्य में लग गये। सन् 1933 में गाँधीं जी ने अनशन जनता के हृदय परिवर्तन के लिए था। गाँधीं जी ने वायसराय से भेंट की प्रार्थना इस आधार पर न मंजूर कर दी। जब तक सविनय अवज्ञा आन्दोंलन बंद नहीं कर किया जाता तब तक वे मुलाकत मंजूर करेगें। अतः आन्दोंलन ने नेताओं द्वारा बंद कर दिया गया।

निष्कर्ष :– गाँधीं जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोंलन से पूर्व महिलाओं को आंन्दोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। परन्तु महिला संस्थाओं एवं प्रमुख महिलाओं द्वारा माँगें उठाने व जिद करने पर गाँधीं जी ने अनुमति दे दी और बडीं संख्या में महिलाएँ ने इस आन्दोंलन में भाग लिया। आजादीं की लड़ाई में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाऍ घरों से बाहर निकली, जुलुस निकालें सभाएँ आयोजित की,नमक कानून भंग किया। नेताओं के जेल जाने के बाद देश के सभी शहरों मे महिलाओं के बड़े–बड़ें जुलूस निकाले गये, महिलाओं ने पुरूषों से भी अधिक दृढ़ता का परिचय दिया। इन महिलाओं का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमति सरोजनी नायडू ने किया। महिलाओं का अदम्भ उत्साह वीरता व सक्रियता देखकर तो गाँधीं जी ने कि इन भारतीय नारियों के लिए कहा कि निरक्षर पिछड़ी हुई आन्दोंलन के लिए अप्रशिक्षित भारतीय नारी का सहसा यह सहसी रूप ब्रिटिश सरकार को चौका गया । जब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा, तब निःसन्देंह भारतीय महिलाओं द्वारा किए गए त्याग को उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। इसप्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह महिलाओं के इन कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया। इस आदोंलन में लगभग 1लाख व्यक्ति जेल गये थे जिनमें महिलाओं की संख्या 17हजार आंकी गई थीं।

सर्दभ ग्रंथ सूची :–

1• राय चौधरी, हेमचन्द्र :– पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियेन्ट इंडिया , किताब महल, इलाहाबाद, 1971 ,पृ० 68।

2• डॉ० कृष्ण लाल हंस :– बुंदेली और उसका क्षेत्रीय रूप , पृ० 5।

3• बोस, एस०एन० :– हिस्ट्री ऑफ चदेंला ,पृ० 42।

4• त्रिपाठी, मोती लाल :– बुंदेलखण्ड दर्शन , झॉसी, 1988, पृ० 27।

5• गुप्ता, भगवान दास :– मुगलों के अर्न्तगत् बुंदेलखण्ड का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, हिन्दी बुक सेन्टर, 4/5, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली, 1997, पृ० 3।

6• मार्गरेट कजिन्स इडिण्या वूमेन हुड टुडे, इलाहाबाद, 1914, पृ० 15।

7• गुप्ता,स्नेहलता :– "स्वतंत्रता आन्दोंलन में बुंदेलखण्ड (उ०प्र०,म०प्र०) की महिलाओं का योगदान(1857–1947) " 2000, बुंदेलखण्ड विश्वविधालय, झॉसी, पृ० 26।

8• वही पृ० 27–28।

9• वही पृ० 29–32।

10• वही पृ० 35 –44।

अन्य :–

1 प्रभात कुमार, 'स्वतंत्रता संग्राम और गांधीं जी का सत्याग्रह' दिल्ली 2000।

2 भट्टाचार्य एस.पी.',स्वतत्रता संग्राम के सैनिक' सूचना विभाग लखनऊ।

3 पटाटाभि सीतारमैया :–'काग्रेंस का इतिहास' संस्ता साहित्य संस्थान, **भाग–2,** दिल्ली, **1948।**